निकाली गई थी और 10,286 प्लाट रिलीज कर दिए गए हैं।

भारतीय अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मंजूर किये गये पद

3660 **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मंजूर किये गये, भरे गये और रिक्त पद कितने हैं तथा वहां किन कारणों से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार वैज्ञानिकों, तकनीशनों, सहायक कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की श्रेणियों में मंजूर किये गये, भरे गये और रिक्त पद दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी; और

(ग) वहां इन श्रेणियों में पद किन कारणों स रिक्त पड़े हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्)

(क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत "लखनऊ में भारतीय अनुसंधान संस्थान" नाम का कोई संस्थान नहीं है। अत: इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

APPROVAL OF MAHAR DAM, DISTRICT SIDHI, M.P.

3661. SHRI MOTILAL SINGH : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the project report of Mahar Dam Project of District Sidhi in Madhya Pradesh has been received by Central Water Commission and if so, when;

(b) when the project will be technically cleared;

(c) will Banas feeder be included in Phase II of this Project; and

(d) will Central Government take action to include this project for financing by World Bank aided medium line of credit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI) : (a) There is no Project named Mahar Dam. Presumably the Hon'ble Member is referring to Mahan Dam Project. Scheme report for Mahan Dam Project has been received in the Central Water Commission on 21-7-1982 from the Government of Madhya Pradesh, for technical examination and obtaining approval of the Planning Commission.

(b) The Project will be technically cleared after detailed examination in Central Water Commission and after establishing its techno-economic viability and cost effectiveness.

(c) Under Stage II of the Project, a 45 Km. long feeder canal, from River Banas to Mahan River is contemplated. Project Report covering Stage II works, has so far not been received from the Government of Madhya Pradesh.

(d) This can be considered after the Project is technically cleared by Central Water Commission and approved by Planning Commission.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्किट का स्थायी पट्टा

3662. **श्री बापूराव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट (जनता मार्केट, झण्डेवाला) को स्थायी पट्टे पर देने का एक संकल्प 22-9-80 को पास किया था;

(ख) क्या इस संकल्प के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से इस क्षेत्र का भूमि उपयोग बदलने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र का भूमि उपयोग न बदले जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के भूमि-उपयोग में परिवर्तन कब तक किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 22-9-80 के एक संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया था कि एस०पी० मुकर्जी मार्किट क्षेत्र के भू उपयोग को "हरित" से "खुदरा विपणन (वाणिज्यिक)" में बदलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत क्षेत्र के भू उपयोग को बदलने को